\.

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0 ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....16/22....... दिनांक.......20/1/2022

2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018_धारायें –7
(2) अधिनियम–...............................धारा –
(3) अधिनियम...............................धारायें –...............................
(4) अन्य अधिनियम धारायें...............................

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...............................समय...............................
(ब) अपराध घटने का दिन ... मंगलवार ....दिनांक....18.01.2022 ...समय 04.30 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 14.01.2022 समय 11.00 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट

5. घटना स्थलः– पुलिस चौकी विनायक थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–बजानिब उत्तर–पूर्व व 70 कि.मी.
(ब) पताः– पुलिस चौकी विनायक थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण।
जरायम देही संख्या.....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – ईटावा कोटा ग्रामीण, राजस्थान

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री बनवारी लाल मीणा
(ब) पिता का नाम – श्री बिरधीलाल मीणा
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 32 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...............................जारी होने की तिथी...............
जारी होने की जगह...............................
(र) व्यवसाय– कृषि
(ल) पता – ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा जिला कोटा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
आरोपी श्री नाहर सिंह पुत्र अजीराम जाति जाट उम्र 44 साल निवासी– गण्डुरा तहसील लक्ष्मणगढ थाना बडौदा मेव जिला अलवर हाल हैड कानि. 828 प्रभारी, पुलिस चौकी विनायका पुलिस थाना इटावा कोटा ग्रामीण

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–............................ शून्य..

9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य..... 7000/– रूपये...............................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...............................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–
प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2022 को समय 11:00 ए.एम. पर श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा को परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा थाना ईटावा जिला कोटा ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। जिसका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने अवलोकन किया, परिवादी ने शिकायत प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया। परिवादी ने शिकायत इस आशय की पेश की कि " मैं श्री बनवारी लाल मीणा पुत्र श्री बिरधीलाल मीणा जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी ग्राम रनोदिया तहसील पिपल्दा थाना ईटावा जिला कोटा का रहने वाला हूँ। मेरा खेत के पडौसी हीरालाल माली से कुछ बोल चाल हो गई थी। मेरे पडौसी खेत मालिक हीरालाल ने मेरे खिलाफ थाना ईटावा मे मारपीट का मुकदमा नम्बर 15/22 दर्ज करा दिया था। जिसकी जांच ईटावा थाने के हैड कानि0 नाहर सिह 628 कर रहे है। उक्त जांच अधिकारी नाहर सिह मेरे को मुकदमे मे गिरफ्तार कर जेल भिजवाने की धमकी दे रहे है तथा जब मैं उनसे मिला तो उन्होने मुझे जेल नही भिजवाने तथा थाने पर ही जमानत

करवाने की एवज मे पन्द्रह हजार रूपये की रिश्वत की मांग की है। इस बाबत् दिनांक 12.01.2022 को मेरे से नाहर सिह हैड कानि0 628 चौकी विनायका थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण ने आठ हजार रूपये ले लिये ओर मुझे शेष रहे सात हजार रूपये लेकर आने के लिये कहा है। मैं नाहर सिह हैड कानि0 628 चौकी विनायका थाना ईटावा जिला कोटा ग्रामीण को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उनको रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई आपसी रंजिश नही है ओर ना हि कोई उधार का लेनदेन बकाया है। शिकायत पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन हेतु मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर, परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझायी। कार्यालय के श्री मुकेश कुमार कानि. 71 को अपने कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा सें परिचय करवाया गया ओर परिवादी ने बताया कि मेरी आज ही नाहर सिह हैड कानि0 से रिश्वत संबंधी बात हो जायेगी। इस पर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर उसके साथ निगरानी हेतु श्री मुकेश कुमार कानि. 71 को वास्ते गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के पास थाना ईटावा के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 10:00 पी.एम पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के उपस्थित आया, जिसने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया कि आज हम दोनो कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा ईटावा पहुंचे थें। वहां पर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना ईटावा पर आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 के पास रिश्वत संबंधी बात करने हेतु भेजा। परन्तु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 थाने पर नही मिला इसके उपरांत हम दोनो वहां से ईटावा थाने की चौकी विनायका पर गये तो पता लगा था कि आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 किसी अन्य काम से कोटा गये हुऐ जिनके आने को कोई पता नही है। इस पर काफी इंतजार भी किया परन्तु आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 न तो थाने पर पहुंचा ना हि चौकी विनायका पर पहुंचा। सांय काल तक भी इंतजार करने के उपरांत भी आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 नही मिला। इसलिये रात्रि का समय होने से परिवादी वही रूक गया ओर मे डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर आ गया। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 17.01.2022 समय 08:00 ए.एम. पर परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जर्ये मोबाईल कॉल करके बताया कि मुझे आरोपी नाहर सिह हैड कानि0 थाना ईटावा समय 11.00 एएम पर थाने पर बुला रहा है। इस पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचकर, परिवादी श्री बनवारी लाल मीणा को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर गोपनीय सत्यापन कराने हेतु कस्बा ईटावा के लिये रवाना किया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार की गयी। समय 09:00 पी.एम. पर श्री मुकेश कुमार कानि0 71 मय सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया तथा श्री मुकेश कुमार कानि0 71 ने बताया की मै कार्यालय सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर कोटा सें रवाना हुआ तथा परिवादी से सम्पर्क किया तो परिवादी बनवारीलाल मीणा तथा उसका मित्र श्री मांगीलाल पुत्र श्री भैरूलाल जाति महावर निवासी– रनौदिया मुझे कस्बा इटावा से पहले गणेशगंज तिराहे पर ही मिले। परिवादी ने बताया कि हैड साहब नाहर सिंह जी थाने पर ही हैं तथा मुझे जमानतदार को लेकर आने के लिए बोला हैं, जिस पर मैं मेरे मित्र श्री मांगीलाल को साथ लेकर आया हूं। गणेशगंज से परिवादी की मोटरसाईकिल पर रवाना होकर मै, मांगीलाल व परिवादी बनवारी तीनो पुलिस थाना ईटावा के पास पहुँचे तथा परिवादी को हैड कानि. नाहर सिंह सें रिश्वत व अपने कार्य के संबन्ध में स्पष्ट वार्ता कर वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द कर रवाना किया, मै थाने के बाहर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहा। करीबन 4 घण्टे बाद परिवादी व उसका साथी मांगीलाल मेरे पास आये जिनसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त किया तो वह बन्द हालात में मिला। परिवादी ने बताया कि मैं तथा मांगीलाल आपके पास सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर उसको लेकर थाने में अन्दर गये थे, जहां पर मुझे हैड साहब नाहर सिंह जी मिल गये थे उन्होने मुझ सें